वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में मंजूर किए गए ऋण और संवितरित की गयी राशियां नीचे दी गयी हैं :—

(करोड़ रुपये)

संस्था का नाम	1989-90 (अप्रैल-मार्च)		1990-91 (अप्रैल-मार्च)	
	मंजूर की गयी राशि	संवितरित की गयी राशि	मंजूर की गयी राशि	संवितरित की गयी राशि
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	607.9	415.0	592.5	340.2
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	202.2	116.7	291.1	172.0
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	135.5	76.5	152.3	97.2
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	—	—	189.4	156.3
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	8.7	9.3	17.6	13.0

टिप्पणी :—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 2-4-1990 से ही अपना काम शुरू किया है।

(ग) संवितरणों में किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में किसानों को सहायता प्रदान किया जाना

1747. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान लघु तथा सीमान्त किसानों को उथले ट्यूबवेलों को गहरा करने तथा सही ढंग से खोदने के लिए सहकारी वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ली गई सहायता का जिलावार ब्यौरा क्या है ,

(ख) क्या इस प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने के मामले में सरकार को किसी भ्रष्टाचार की सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनको आंकड़ा सूचना प्रणाली से उथले पानी के ट्यूबवैल को गहरा करने और उसकी खुदाई के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को दिए गए ऋण के जिलावार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि जून 1989 और 1990 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों को

संवितरित सावधि ऋणों की राशि क्रमशः 70.48 करोड़ रु० और 87.93 करोड़ रु० थी। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सभी किसानों को संवितरित सावधि ऋणों की राशि क्रमशः 31.16 करोड़ रुपये और 37.14 करोड़ रुपए थी। यहां यह भी बताया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे अभिकरणों को योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के तहत उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त की राशि क्रमश 76.64 करोड़ रुपए और 98.66 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। अलबत्ता, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड को प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं और मंजूरियों तथा संवितरणों से संबंधित शिकायतें संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ उठायी जाती हैं और उपचारी कदम उठाए जाते हैं। बैंक अपनी शाखाओं का आवधिक निरीक्षण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के दौरान ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों संबंधी कई कमियां सामने आती हैं। अधिकारियों सहित जिन कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है बैंक नियमों और प्रक्रियाओं के तहत उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हैं।

Loans advanced by SIDBI

1748. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the amount of loan advanced by the Small Industries Development Bank of India since its inception so far, State-wise; and

(b) what are the details of loans provided by it, district-wise, in Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) The amount of refinance assistance disbursed by the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in respect of term loans since its inception in April, 1990 State-wise is given in the Statement-I. (See below).

(b) The District-wise refinance assistance disbursed by SIDBI in Uttar Pradesh is given in Statement-II.

Statement-I

Refinance : State-Wise Assistance

(Rs. crores)

State	April 90—March 91 Disb.	April 91—March 92 Disb.
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	121.20	128.79
Arunachal Pradesh	0.70	0.25
Assam	9.80	8.50
Bihar	42.90	31.69
Goa	17.00	23.79
Gujarat	169.90	196.26
Haryana	48.40	56.09
Himachal Pradesh	22.00	20.29